

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

शु. शान्ति देवी बनाम जायू

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 443 / 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
04/12/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री/ श्रीमती <u>शान्ति देवी</u> पुत्री श्री <u>सुरेशचन्द्र जाट</u></p> <p>निवासी- <u>नेतावलमहाराज</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>नेतावलमहाराज</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1771/1, 1771/2, 1772/1, 2055 सी. कीता 4 कुल रकब 0.6200 तथा आराजी नम्बर 1547, 1772 सी., 974 कीता 3 कुल रकब 0.8300 हे.</u></p> <p>कुल कीता <u>4+3=7</u> कुल रकबा <u>0.62+0.83</u> हे० की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>नेतावलमहाराज</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1771/1, 1771/2, 1772/1, 2055 सी. कीता 4 कुल रकब 0.6200 एवं आराजी नम्बर 1547, 1772 सी., 974 कीता 3 कुल रकब 0.8300 हे.</u></p> <p>कुल कीता <u>4+3=7</u> रकबा <u>0.62+0.83</u> हे० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000/-</u> रूपये अक्षरे <u>एक हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>